बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांकः–............................/ पटना, दिनांक.........................

संरसं0–09 / उ0नि0 / योजना(औ0प्रो0नीति)–01–01 / 2020

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 / 2011, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (संशोधन) के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को देय विभिन्न रियायतों एवं सुविधाओं की प्रतिपूर्ति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 (संशोधन) की कंडिका–1 के उप कंडिका–'घ' के अनुरूप एस0जी0एस0टी0 (SGST) की प्रतिपूर्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के समेकित विकास योजनान्तर्गत कार्यरत औद्योगिक इकाईयों का लंबित दावों का भुगतान, माननीय उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय / औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड / वित्त मंत्रालय के आदेश का अनुपालन हेतु / रूग्ण उद्योगों के लिये गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों का भुगतान / प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन की राशि के साथ कुल पुनरीक्षित बजट उपबंधित राशि रू0 750,00.00 लाख (सात सौ पच्चास करोड़) मात्र में से तृतीय किस्त के रूप में प्राप्त शेष आवंटन राशि रू 200,00.00 लाख (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र सब्सिडी के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः–स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2006 / 2011, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (संशोधन) के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत प्रक्षेत्र की औद्योगिक इकाईयों को देय विभिन्न रियायतों एवं सुविधाओं की प्रतिपूर्ति, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 (संशोधन) की कंडिका–1 के उप कंडिका–'घ' के अनुरूप एस0जी0एस0टी0 (SGST) की प्रतिपूर्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के समेकित विकास योजनान्तर्गत कार्यरत औद्योगिक इकाईयों का लंबित दावों का भुगतान, माननीय उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय / औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड / वित्त मंत्रालय के आदेश का अनुपालन हेतु / रूग्ण उद्योगों के लिये गठित शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहनों का भुगतान / प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक आगणन की राशि के साथ कुल बजट उपबंधित राशि रू0 750,00.00 लाख (सात सौ पच्चास करोड़) मात्र में से तृतीय किस्त के रूप में प्राप्त आवंटन राशि रू 200,00.00 लाख (दो सौ करोड़ रूपय) मात्र सब्सिडी के निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. पूर्व में वित्तीय वर्ष 2025–26 में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–1036, दिनांक–02.05.2025 द्वारा रू 1,6500.00 लाख (एक सौ पैंसठ करोड़ रूपये) मात्र एवं विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–2505, दिनांक–04.09.2025 द्वारा रू 3,8500.00 लाख (तीन सौ पचासी करोड़ रूपये) मात्र अर्थात कुल 55000.00 लाख (पॉच सौ पचास करोड़ रूपये) मात्र सब्सिडी की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3. उक्त राशि का व्यय औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 / 2011, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 (संशोधन) की कंडिका–1 के उप कंडिका–'घ' के घोषित प्रावधानों / दिशा निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

4. बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 अन्तर्गत, वाणिज्य–कर–विभाग द्वारा अनुशंसित ईकाईयों को पात्रता प्रमाण–पत्र के आधार पर VAT/SGST की प्रतिपूर्ति देय होगा।

5. बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2006 / 2011 एवं बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 अन्तर्गत औद्योगिक इकाईयों को पात्रता के आधार पर प्रवेश कर (ET) की प्रतिपूर्ति देय होगा।

6. उक्त राशि का 5 प्रतिशत राशि महिला उद्यमियों को प्राथमिकता के आधार पर व्यय की जायेगी।

7. उक्त स्वीकृत राशि का व्यय माँग संख्या 23, मुख्य शीर्ष–2852 उद्योग, उप मुख्य शीर्ष 80–सामान्य, लघु शीर्ष 102–औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष 0160–प्री प्रोडक्सन एवं पोस्ट प्रोडक्सन सुविधाओं की योजना, विपत्र कोड 23.2852801020160, विषय शीर्ष 0160.33.01 सब्सिडी मद में चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में उपलब्ध रू 200,00.00 लाख (दो सौ करोड़ रूपये) मात्र विकलनीय होगा।

8. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना होंगे तथा योजना के नियंत्री पदाधिकारी, उद्योग निदेशक, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

9. उद्योग निदेशक, बिहार, पटना द्वारा इकाईवार निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी तथा स्वीकृत्यादेश में दिये गये निदेशानुसार राशि का भुगतान सम्बन्धित इकाई/संस्था को सी0एफ0एम0एस0 (CFMS) के माध्यम से उनके बैंक खाता में की जायेगी।

10. यह राज्य सरकार की चालू योजना है। राशि की निकासी पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर **फार्म बी0टी0सी0– 25** पर की जायेगी।

11. उक्त स्वीकृत राशि विभागीय योजना उद्व्यय के अंतर्गत है।

12. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0 सं0–09/उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति) –01–01/2020 के पृष्ठ–131/टि0 पर दिनांक–26.12.2025 को प्राप्त हैं।

13. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में माननीय मंत्री, उद्योग विभाग, बिहार, पटना की स्वीकृति संचिका सं0–09/ उ0नि0/योजना (औ0प्रो0नीति)–01–01/2020 के पृष्ठ–131/टि0 पर दिनांक–22.01.2026 को प्राप्त है।

14. राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि0 (2), दिनांक–17.04.98 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–7355/वि0(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–..............................
09/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–01–01/2020

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–......................../ पटना, दिनांक–..............................
09/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–01–01/2020

प्रतिलिपिः–सहायक उद्योग निदेशक (लेखा), उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांकः–....404..../ पटना, दिनांक–..03-02-26..
09/उ0नि0/योजना(औ0प्रो0नीति)–01–01/2020

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वाणिज्य–कर आयुक्त–सह–प्रधान सचिव, वाणिज्य–कर विभाग, विकास भवन, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/उद्योग निदेशक, उद्योग निदेशालय/निदेशक, एम0एस0एम0ई0 निदेशालय/निदेशक (खा0 प्र0), खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/अवर सचिव, बजट प्रशाखा, उद्योग विभाग/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय/प्रशाखा पदाधिकारी–1 (स0), उद्योग विभाग/प्रशाखा–8 (उ0नि0), उद्योग निदेशालय/सहायक उद्योग निदेशक, एस0आई0पी0बी0/आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग निदेशालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/02/26
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।